रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 8—फरवरी 14, 2014 (माघ 19, 1935)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 8—FEBRUARY 14, 2014 (MAGHA 19, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	317
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	83
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	233
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	87
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	29
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	173
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	317
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	83
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	233
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the . Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	87
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	29
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	173
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 24 जनवरी 2014

संकल्प

सं. 1/5/2011-हिन्दी--खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के संकल्प संख्या 11018/1/92-हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार, एतद्द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है। इस समिति का गठन, कार्य, कार्यकाल आदि निम्नानुसार होंगे:

गठन:

1.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री	अध्यक्ष
I.	गैर-सरकारी सदस्य	
(क)	संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य	
2.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
3.	श्री यशवंत नारायण सिंह लागुरी, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4.	श्रीमती वन्दना चव्हाण, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
5.	श्री प्रभात झा, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
(ख)	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य	
6.	श्री दारा सिंह चौहान, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
7.	डॉ. राम प्रकाश, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
II.	अन्य गैर-सरकारी सदस्य	
(क)	राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य	
8.	श्री राम बिलास सिंह, ग्राम हरैया बुजुर्ग, पोस्ट होरलापुर ब्रांच कठकुइंया, जिला कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
9.	श्री जय प्रकाश मल्ल पुत्र स्व. श्री बंका मल्ल, उदित नारायण इं. कॉ. पडरौना, जिला कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
10.	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, 485, मायाबाजार उत्तरी, निकट सीटी कान्वेंट स्कूल, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
(ख)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य	
11.	प्रो. मैनेजर पाण्डेय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं के लिए केन्द्र में प्रोफेसर, बी.डी./8-ए, डीडीए फ्लैट, मुनीरका, नई दिल्ली-110067	सदस्य

12.	डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, दस्तावेज, बेतिया हाता, गोरखपुर-273001	सदस्य
13.	डॉ. कैलाश बाजपेई, डी-203, साकेत, नई दिल्ली	सदस्य
14.	डॉ. नामवर सिंह, 32-ए, शिवालिक अपार्टमेंट, अलकनन्दा, कालकाजी, नई दिल्ली-110019	सदस्य
(ग)	केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्स वाई-68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली द्वारा नामित सदस्य	
15.	श्री अरविन्द यादव, सहायक अभियन्ता (योजना) बी-31,जवाहर पार्क, खानपुर, नई दिल्ली	सदस्य
(घ)	अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, सामुदायिक केन्द्र (दिल्ली नगर निगम), 10788-89, झंडेवालान, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 द्वारा नामित सदस्य	
16.	श्री एस. के. साइकिया, मंत्री, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, रूप नगर, गुवाहाटी-781032 (असम)	सदस्य
III.	सरकारी सदस्य	
(क)	राजभाषा विभाग	
17.	सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
18.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
(ख)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
19.	सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
20.	संयुक्त सचिव (जे. पी. एम.), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव (यू.वी.), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव (के.पी.), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
23.	आर्थिक सलाहकार (जी.बी.), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
24.	निदेशक (पी. के.), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
25.	निदेशक (आई.एम.), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
26.	निदेशक (एन. के.जी.), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
27.	उप सचिव (के.बी.एस.), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
28.	उप सचिव (जी.सी.), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
29.	अवर सचिव (एस.के.एम.), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
30.	संयुक्त सचिव (ए.पी.), खा.प्र.उ.मं. (राजभाषा प्रभारी)	सदस्य सचिव
(ग)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले कार्यालयों के प्रतिनिधि	
31.	निदेशक, भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, (आईआईसीपीटी)	सदस्य
32.	निदेशक-सह-उप कुलपति, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, (निफ्टेम)	सदस्य

2. समिति के कार्य:--

इस समिति का कार्य राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों पर आवश्यक सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल सामान्यत: इसके गठन की तारीख से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, तीन वर्ष तक होगा बशर्ते:--

(क) जो संसद सदस्य इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्याग पत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा, आयोग, मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन और भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अनुराधा प्रसाद
संयुक्त सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2014

संकल्प

विषय:-- वानिकी प्रभाग का सुदृढ़ीकरण की केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण और विस्तार-क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण 2013-2014

सं. 4-7/2012-आरओएचक्यू--भारत सरकार ने वन भूमि के संरक्षण पर विशेष बल देने सहित जारी वानिकी विकास परियोजनाओं और स्कीमों की निगरानी और उनका मूल्यांकन करने तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के विपथन वाले प्रस्तावों को तैयार करने में राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को सलाह देने के लिए नई दिल्ली में मुख्यालय इकाई सहित बैंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ और शिलांग में दिनांक 07/04/1986 की संकल्प सं. 37-3/85-एफपी द्वारा इस मंत्रालय के पांच क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया था। देश में प्रदूषण नियंत्रण तथा परियोजनाओं और कार्यकलापों के पर्यावरणीय प्रबंधन सहित पर्यावरणीय प्रबंधन के सभी पहलुओं से संबंधित बढ़ते कार्य पर विचार करते हुए दिनांक 12/05/1988 की संकल्प सं. 17-3/88-पीसी द्वारा चंडीगढ़ में छठे क्षेत्रीय कार्यालय को खोलकर क्षेत्रीय कार्यालयों को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया था वर्ष 1999 में अतिरिक्त स्टाफ का सृजन किए बिना भुवनेश्वर और बैंगलूरू में क्षेत्रीय कार्यालयों से (स्टाफ) लेकर दिनांक 08.07.1999 की संकल्प सं. 7-1/96-आरओएचक्यू द्वारा रांची में सातवें क्षेत्रीय कार्यालय का गठन करने का निर्णय लिया गया था। रांची में क्षेत्रीय कार्यालय को वित्तीय बाध यताओं के कारण कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका।

2. टी. एन. गोदावर्मन थिरूमलपद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका सं. 202 में लाफरेज यूमियम माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड एवं अन्य संबंधित आई.ए. द्वारा दर्ज वर्ष 2007 की आई.ए. सं. 1868 में दिनांक 06.07.2011 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, व्यय वित्त समिति ने सचिव (पर्यावरण एवं वन) की अध्यक्षता में दिनांक 04.03.2013 को हुई अपनी बैठक में अधिक निरंतर निरीक्षणों तथा प्रस्तावों की गहराई से छानबीन और मूल्यांकन को सुकर बनाने के लिए नई दिल्ली में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सचिवालय के भाग के रूप में नई दिल्ली में मुख्यालय इकाई सहित चैन्नई, देहरादून, नागपुर और रांची में उनके मुख्यालय के साथ चार क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापित करने का निर्णय लिया। क्षेत्रीय कार्यालयों का विस्तृत अधिदेश निम्नानुसार है:--

क. वन (संरक्षण) अधिनियम संबंधित कार्यकलाप:

(i) ऐसे मामलों की त्वरित प्रक्रिया और निपटान के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के विपथन वाले प्रस्तावों को तैयार करने में राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को सहायता देना;

(ii) 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली वन भूमि के विपथन के मामलों में स्थलों का प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रारम्भ करना और अन्य मामलों में जैसा भी अपेक्षित हो;

(iii) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्ताव में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(iv) 5 हेक्टेयर के विस्तार तक (खनन और अतिक्रमण के विनियमन को छोड़कर) वन भूमि के विपथन का अनुमोदन और राज्य सलाहकार दलों के परामर्श से 5 हेक्टेयर से 40 हेक्टेयर के बीच (और खनन तथा अतिक्रमण मामलों के विनियमन) मामलों पर कार्यवाही करना;

(v) चरण-I (सिद्धांत रूप में), चरण-II (अंतिम) अनुमोदनों, स्थल निरीक्षण/निगरानी रिपोर्टों, आयोजित की गई एसएजी बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्तों को वेबसाइटों पर अपलोड करना।

ख. कार्य योजना से संबंधित कार्य:

(i) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके नियंत्रणाधीन वन में कार्य करने के लिए प्रबंधन/कार्य योजनाएं तैयार करने में सहायता करना।

(ii) प्रबंधन/कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरी करना।

ग. अन्य योजनाओं की मॉनीटरी करना:

(i) वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए सभी जारी वानिकी विकास परियोजनाओं और स्कीम की मॉनीटरी और मूल्यांकन करना;

(ii) काम्पा निधियों की उपयोगिता की मॉनीटरी करना।

(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की मॉनीटरी करना।

घ. पर्यावरणीय प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण कार्य:

(i) परियोजनाओं/कार्यकलापों को जब पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाती है, तत्पश्चात् के लिए निर्धारित शर्तों/सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का अनुवर्तन करना;

(ii) पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) में निर्धारित शर्तों के संबंध में परियोजना प्रस्तावकों से प्राप्त छमाही प्रगति रिपोर्टों की जांच और उसका विश्लेषण करना तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई करना;

(iii) स्थल दौरे द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तां की औचक और रैंडम-जांच सत्यापन करना;

(iv) मंत्रालय द्वारा यथानिर्देशित जांच करना;

(v) उद्योगों, स्थानीय निकायों, सरकार (राज्य/केन्द्र) द्वारा किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अनुवर्तन करना;

(vi) परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रदूषण नियंत्रण उपायों, कार्यप्रणाली और स्थिति, विधिक और प्रवर्तन उपायों, नमभूमियों कच्छ वनस्पतियों और जैव-मंडल रिजर्वों जैसे विशेष संरक्षण क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित सूचना एकत्र करना और प्रस्तुत करना;

(vii) संबंधित राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों (भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों सहित), परियोजना प्राधिकरणों, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल गैर सरकारी संगठन से संपर्क बनाए रखना और सहलग्नता सुनिश्चित करना;

(viii) परसंकटमय प्रबंधन नियमों और लोकदेयता अधिनियम के अनुप्रयोग से परिचित कराने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य पर्यावरण विभाग हेतु कार्यशालाएं आयोजित करना; और

(ix) अनुपालन और स्थल निरीक्षण रिपोर्टों की छमाही प्रगति रिपोर्टों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना।

ङ विविध कार्य:

(i) वन और गैर-वन भूमि की स्थिति ज्ञात करने के मामले में स्थायी स्थल निरीक्षण समिति की सहायता करना;

(ii) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार करने में सहायता देना;

(iii) जैविक विविधता के संबंध में क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी और वैज्ञानिक परामर्श देना;

(iv) सभी वानिकी कार्यकलापों को शामिल करते हुए आंकड़ों के एकत्रण, मिलान, संग्रहण और सुधार कार्य को सरल व कारगर बनाने में राज्य/संघ राज्य सरकारों की सहायता करना और इन आंकड़ों को केन्द्र सरकार/केन्द्रीय आंकड़ा प्रसंस्करण केन्द्र को संप्रेषित करना;

(v) इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार और मंत्रालय के अन्य पुरस्कारों के लिए मनोनीत व्यक्तियों का सत्यापन;

(vi) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित न्यायिक मामलों में मौजूद रहना।

(vii) पर्यावरण एवं वन मुद्दों से संबंधित आरटीआई आवेदनों, सामान्य शिकायतों को निपटाना।

(viii) ऐसे अन्य कार्य, जो समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालय और क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं:--

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य और संघ शासित क्षेत्र
1.	बैंगलूरू	कर्नाटक, केरल, गोवा और लक्षद्वीप
2.	भोपाल	दादर और नगर हवेली, दमन और , दीव, गुजरात और मध्य प्रदेश
3.	भुवनेश्वर	ओडिशा और पश्चिम बंगाल
4.	चेन्नई	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और पंजाब
6.	देहरादून	हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड
7.	लखनऊ	दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
8.	नागपुर	छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र
9.	रांची	बिहार और झारखण्ड
10.	शिलांग	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा

उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपे गए कार्यों से संबंधित सभी कार्यकलापों के पर्यवेक्षण और समन्वयन हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली में सचिव, भारत सरकार के समस्त नियंत्रण के अधीन नई दिल्ली में मंत्रालय की मुख्यालय इकाई उत्तरदायी होगी।

3. मंत्रालय और 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालयों की कुल स्वीकृत क्षमता 341 है। (मुख्यालयों हेतु 22, क्षेत्रीय कार्यालय शिलांग के लिए 36 तथा क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरू, भुवनेश्वर, लखनऊ प्रत्येक के लिए 34, भोपाल के लिए 33, चैन्नई, देहरादून, नागपुर, रांची प्रत्येक हेतु 30 और क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ हेतु 28)।

4. मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय और 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्वीकृत स्टाफ का विवरण अनुबंध-I में दर्शाया गया है।

5. यह आदेश इस विषय पर पूर्व के सभी आदेशों का अधिक्रमण करता है।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

वी. राजगोपालन
सचिव

अनुबंध- I

मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय और बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, चैन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ, नागपुर, रांची और शिलांग स्थित दस क्षेत्रीय कायार्लयों हेतु स्वीकृत स्टाफ संख्या का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन-बैंड	वेतनमान+जीपी	क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय की कुल स्वीकृत क्षमता											
				आरओ एचक्यू	बंगलौर	भुवनेश्वर	भोपाल	लखनऊ	शिलांग	चण्डीगढ़	चैनई	देहरादून	नागपुर	रांची	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	अपर वन महा-निदेशक(एफसी)	एचएजी +	रू. 75500-80000/-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मध्य)	एचएजी	रू.. 67000-79000/-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3	वन संरक्षक (मध्य)/उप वन संरक्षक (मध्य)	4 3	रू.37400-67000+जीपी 8900/ रू.37400-67000+जीपी 7600/-	-	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
4	सहायक वन महा निरीक्षक	3	रू.15600-39000+जीपी 7600/-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5	वैज्ञानिक 'एफ'	4	रू.37400-67000+जीपी 8900/-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
6	वैज्ञानिक 'डी'/'सी'	3	रू. 15600-39000 + जीपी रू. 7600/- रू. 15600-39000 + जीपी रू.. 6600/-	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	33
7	उप विधिक सलाहकार	3	रू.15600-39000+जीपी 7600/-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	सहायक विधिक सलाहकार	3	रू.15600-39000+जीपी 6600/-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	विधिक सहायक	2	रू..9300-34800+जीपी 4600/-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	एपीसीसीएफ के प्रधान निजी सचिव	3	रू..15600-39000+जीपी 6600/-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11	निजी सचिव (वरिष्ठ निजी सहायक)	2	रू.9300-34800+जीपी 4600/-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
12	अनुभाग अधिकारी	2	रू.9300-34800+जीपी 4600/-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
13	अनुसंधान अधिकारी (पर्या.) ग्रेड-।।	2	रू.9300-34800+जीपी 4600/-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
14	तकनीकी अधिकारी ग्रेड-। (वानिकी)	2	रू..9300-34800+जीपी4800/-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन-बैंड	वेतनमान+जीपी	क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय की कुल स्वीकृत क्षमता											
				आरओ एचक्यू	बंगलौर	भुवनेश्वर	भोपाल	लखनऊ	शिलांग	चण्डीगढ़	चैनई	देहरादून	नागपुर	रांची	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
15	तकनीकी अधिकारी ग्रेड-।। (वानिकी)	2	**रू.9300-34800+जीपी 4600/-**	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	10
16	सहायक	2	**रू.9300-34800+जीपी 4200/-**	-	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	19
17	अनुसंधान सहायक (पर्या.)	2	**रू.9300-34800+जीपी 4200/-**	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
18	अनुसंधान अन्वेषक (वानिकी)	2	**रू..9300-34800+जीपी 4200/-**	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
19	निजी सहायक/ आशुलिपिक ग्रेड 'सी'	2	**रू.9300-34800+जीपी 4200/-**	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	5
20	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	1	**रू.5200-20200+जीपी 2400/-**	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
21	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	2	**रू..9300-34800+जीपी 4600/-**	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
22	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	**रू.5200-20200+जीपी 2400/-**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	प्रवर श्रेणी लिपिक	1	**रू..5200-20200+जीपी 2400/-**	-	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	15
24	अवर श्रेणी लिपिक	1	**रू.5200-20200+जीपी 1900/-**	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	28
25	स्टाफ कार चालक	1	**रू.5200-20200+जीपी 1900/-**	-	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	20
26	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	**रू.5200-20200+जीपी 1800/-**	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	37
कुल				**22**	**34**	**34**	**33**	**34**	**36**	**28**	**30**	**30**	**30**	**30**	**341**

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 जनवरी 2014

संकल्प

सं.-11015¼2½/2013-हिन्दी-- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 26 अक्तूबर, 2010 के संकल्प संख्या 11015¼2½/2013-हिन्दी के अनुक्रम में भारत सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल अगले एक वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 25 अक्तूबर, 2014 तक बढ़ाने का निश्चय किया है।

2. दिनांक 26 अक्तूबर, 2010 के उपर्युक्त संकल्प में उल्लिखित अन्य निबंधन और शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इसकी एक प्रति उपनिदेशक ¼रा. भा.½, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ब्लॉक सं.-14, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को भी पृष्ठांकित की जाए।

जे सी शर्मा

आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 24th January 2014

RESOLUTION

No. H-1/05/2011-Hindi:—In supersession of Ministry of Food Processing Industries' Resolution No. 11018/1/92-Hindi, dated 29th October, 2003, the Central Government hereby decide to Re-constitute Hindi Advisory Committee in the Ministry of Food Processing Industries. The Committee's composition, functions and tenure etc. will be as under:—

Composition

1.	Minister of Food Processing Industries	Chairman
I.	Non-Official Members	
(A)	Members nominated by Ministry of Parliamentary Affairs	
2.	Sri Deepender Singh Hooda, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
3.	Sri Yashbant Narayan Singh Laguri, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
4.	Smt. Vandana Chavan, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
5.	Sri Prabhat Jha, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
(B)	Members nominated by Parliamentary Committee on Official Language	
6.	Sri Dara Singh Chauhan, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
7.	Dr. Ram Prakash, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
II.	Other Non-Official Members	
(A)	Members nominated by Department of Official Language	
8.	Sri Ram Bilash Singh, Vill. Harraia Bujurg, Post Horlapur Branch Kathkuian, Distt. Kushinagar (U.P.)	Member
9.	Sri Jai Prakash Mall S/o Late Sri Banka Mall, Udit Narain Inter College Padrauna, Distt. Kushinagar (U.P.)	Member
10.	Sri Arvind Kumar Pandey, 485, Maya Bajar Uttari, Near City Convent School, Gorakhpur (U.P.)	Member
(B)	Members nominated by Ministry of Food Processing Industries	
11.	Prof. Manager Pandey, Prof. in the Center for Indian Languages in JNU, B.D./8-A, DDA Flat, Munirka, New Delhi-110067	Member
12.	Dr. Vishwanath Prasad Tiwari, Dastavej, Betia Hata, Gorakhpur-273001	Member
13.	Dr. Kailash Bajpai, D-203, Saket, New Delhi	Member
14.	Dr. Namvar Singh, 32-A, Shivalik Apartment, Alaknanda, Kalkaji, New Delhi-110019	Member
(C)	Member nomitated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi	
15.	Sri Arvind Yadav, Assistant Engineer (Plan.) B-31, Jawahar Park, Khanpur, New Delhi	Member
(D)	Member nominated by Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh, Community Centre (Delhi Municipal Corporation), 10788-89, Jhandewalan Road, Nabi Kareem, New Delhi-110055	
16.	Sri S.K. Saikia, Minister, Assam Rashtra Bhasha Prachar Samitee, Roop Nagar, Guwahati-781032 (Assam)	Member

III. Official Members

(A) Department of Official Language

17. Secretary, Deptt. of Official Language and Hindi Adviser to the Govt. of India.	Member
18. Joint Secretary, Deptt. of Official Language	Member

(B) Ministry of Food Processing Industries

19. Secretary, Ministry of Food Processing Industries	Member
20. Joint Secretary (JPM), Ministry of Food Processing Industries	Member
21. Joint Secretary (UV), Ministry of Food Processing Industries	Member
22. Joint Secretary (KP), Ministry of Food Processing Industries	Member
23. Economic Adviser (GB), Ministry of Food Processing Industries	Member
24. Director (PK), Ministry of Food Processing Industries	Member
25. Director (IM), Ministry of Food Processing Industries	Member
26. Director (NKG), Ministry of Food Processing Industries	Member
27. Deputy Secretary (KBS), Ministry of Food Processing Industries	Member
28. Deputy Secretary (GC), Ministry of Food Processing Industries	Member
29. Under Secretary (SKM), Ministry of Food Processing Industries	Member
30. Joint Secretary (AP), Ministry of Food Processing Industries (i/c Rajbhasha)	Member-Secretary

(C) Representatives of Subordinate Offices under the M/o FPI

31. Director, Indian Institute of Crop Processing Technology (IICPT)	Member
32. Director-cum-Vice Chancellor, National Institute of Food Technology, Enterpreneurship and Management (NIFTEM)	Member

2. Functions of the Committee

The functions of the Committee will be to advise on matters relating to progressive use of Hindi in the Ministry of Food Processing Industries and its subordinate offices in accordance with policies laid down by the Department of Official Language.

3. Tenure

The term of the Committee will be three years from the date of its composition provided that:-

(a) A Member of Parliament who is a member of this Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(b) Ex-officio members of the Committee shall continue as member as long as they hold office by virtue of which they are members of the committee.

(c) If a vacancy arises in the Committee due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term.

4. General

The headquarters of the Committee shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

5. Traveling and other allowances

The non-official members of the Committee shall be paid traveling and daily allowances for attending the meeting of the Committee as per the guidelines contained in O.M.No.II/20034/4/86-OL (A-2) dated 22 January, 1987 of Department of Official Languages and at the Prescribed rates and as Per rules amended by Government of India from time to time.

Order

It is ordered that a copy of the Resolution be communicated to all members of the Committee, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Office of the Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Election Commission of India, Union Public Service Commission, Principal Pay and Account Officer, Ministry of Food Processing Industries, Subordinate office/Autonomous body of Ministry of Food Processing Industries and all Ministries/Departments of the Government of India.

It is also ordered that the resolution be Published in the Gazette of India for general information.

ANURADHA PRASAD
Joint Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 8th January 2014

RESOLUTION

Subject:— The Strengthening and expansion of Regional Offices under the Central Sector Plan Scheme of Strengthening of Forestry Division-Strengthening of Regional Offices 2013-2014.

No. 4-7/2012-ROHQ—The Government of India had set up five Regional Offices of the Ministry vide Resolution No. 37-3/85-FP dated 07/04/1986 at Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Lucknow and Shillong with a Headquarter unit at New Delhi to monitor and evaluate ongoing forestry development projects and schemes with special emphasis on conservation of forest land and to advise the State/ Union Territory Governments in preparation of proposals involving diversion of forest land for non-forestry purposes under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980. In view of the increasing work relating to all aspects of environmental management including pollution control and environmental management of projects and activities in the country, the Regional Offices were further strengthened vide Resolution No. 17-3/88-PC dated 12/05/1988 by opening the sixth Regional Office at Chandigarh. In 1999 it was decided to set up seventh Regional Office at Ranchi vide Resolution No. 7-1/96-ROHQ dated 08/07/1999 by carving it out from the Regional Offices at Bhubaneswar and Bangalore without creating additional staff. The Regional Office at Ranchi could not be made functional due to financial constraints

2. In compliance of the Order of Hon'ble Supreme Court of India on 06/07/2011 in I.A. No. 1868 of 2007 filed by Lafarge Umiam Mining Pvt. Ltd and other related I.As in Writ Petition No. 202 of 1995 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad versus Union of India & Others, the Expenditure Finance Committee decided in its meeting held on 04/03/2013 under the Chairmanship of Secretary (Environment and Forests) to establish four Regional Offices with their Headquarter at Chennai, Dehradun, Nagpur and Ranchi with a Headquarters unit at New Delhi as part of the Secretariat in the Ministry of Environment and Forests at New Delhi to facilitate more frequent inspections and in-depth scrutiny and appraisal of the proposals. The detailed mandate of the Regional Offices is as under:—

A. Forest (Conservation) Act related functions:

(i) To assist the State/ Union Territory Governments in preparation of the proposals involving diversion of forests land for non-forestry purposes under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 for expeditious processing and disposal of such cases;

(ii) To undertake physical inspection of sites in cases of diversion of forestland involving an area of more than 100 hectares and in other cases as may be required;

(iii) To monitor the implementation of conditions and safeguards stipulated by Central Government in the proposal approved under Forest (Conservation) Act, 1980;

(iv) Approval of diversion of forest land to the extent of 5 hectares (except mining and regularization of encroachment) and to process cases between 5 hectares to 40 hectares (and mining and regularization of encroachment cases) in consultation with the State Advisory Groups;

(v) Uploading on the websites the Stage-I (In-principle), Stage-II (Final) approvals, the site inspection/ monitoring reports, Agenda and Minutes of the SAG meetings held.

B. Working Plan related functions:

(i) To assist the State/ Union Territories in the preparation of management/ working plans for working of forest under their control within the framework of guidelines issued by Central Government from time to time;

(ii) Monitoring the implementation of the management/ working plans.

C. Monitoring of other schemes:

(i) To monitor and evaluate all ongoing forestry development projects and scheme with specific emphasis on conservation of forests;

(ii) Monitoring the utilization of CAMPA funds;

(iii) Monitoring of Centrally sponsored schemes.

D. Environmental Management and Pollution Control functions:—

(i) To follow up implementation of conditions and safeguards laid down for projects/ activities when environmental clearance is given;

(ii) To examine and analyse the Six Monthly Progress reports from the Project Proponents vis-à-vis conditionalities in the Environmental Clearance (EC) and take further necessary action;

(iii) To do surprise and random checks/ verifications of EC conditions of various projects by site visits;

(iv) To conduct enquiries as may be directed by the Ministry;

(v) To follow up pollution control measures taken by industries, local bodies, Government (State/ Centre);

(vi) To collect and furnish information relating to environmental impact assessment of projects, Pollution control measures, methodology and status, legal and enforcement measures, environmental protection for special conservation areas like wetlands, mangroves and biosphere reserves;

(vii) To maintain liaison and provide linkage with the concerned State Government, with Central Government Agencies (including Regional Offices of BSI, FSI & ZSI) with project authorities, with the Regional Offices of the Central Pollution Control Board; with State Pollution Control Boards and with Non-Government Organisation involved in implementation of programmes relating to environment;

(viii) To organize workshops for State Pollution Control Board and State Environment Department to acquaint with the application of Hazardous Management Rules and Public Liability Act; and

(ix) Uploading on their website the Six Monthly Progress reports of compliance and site visit reports.

E.Miscellaneous functions:

(i) To service the Standing Site Inspection Committee in the matter of ascertaining the position of the forest or non-forest land;

(ii) Rendering assistance in preparation of the National Forestry Action Plan;

(iii) Regional level technical and scientific consultation on biological diversity;

(iv) To assist the State/ Union Territories in streamlining collection, collation, storage and retrieval of data/ covering all forestry activities and to transmit such data to the Central Government/ Central Data Processing Centre;

(v) Verification of nominees for Indira Gandhi Paryavaran Puruskar and other Awards of the Ministry;

(vi) Attending to Court Cases pertaining to the Ministry of Environment and Forests;

(vii) Attend to RTI Applications, general complaints pertaining to environment and forest issues;

(viii) Such other work as may be assigned from time to time.

The Headquarter and jurisdiction of the Regional Offices are under:—

Sl. No.	Headquarter of the Regional Office	States and UTs under jurisdiction
1	Bangalore	Karnataka, Kerala, Goa and Lakshadweep
2	Bhopal	Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Gujarat and Madhya Pradesh
3	Bhubaneswar	Orissa and West Bengal
4	Chennai	Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry and Andaman & Nicobar Islands
5	Chandigarh	Chandigarh, Haryana, Jammu & Kashmir and Punjab
6	Dehradun	Himachal Pradesh and Uttarakhand
7	Lucknow	Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh
8	Nagpur	Chhattisgarh and Maharashtra
9	Ranchi	Bihar and Jharkhand
10	Shillong	Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura

The Headquarters Unit in the Ministry at New Delhi will be responsible for supervision and coordination of all the activities in relation to the functions assigned to the Regional Offices as enumerated above under the overall control of the Secretary, Government of India in the Ministry of Environment and Forests New Delhi.

3. The total sanctioned strength of Regional Office Headquarters in the Ministry and ten Regional Offices is 341 (22 for Headquarters, 36 for Regional Office Shillong and 34 each for Regional Office Bangaluru, Bhubaneswar, Lucknow, 33 for Bhopal, 30 each for Chennai, Dehradun, Nagpur, Ranchi and 28 for Regional Office Chandigarh).

4. The complement of staff sanctioned for Regional Office Headquarters in the Ministry and ten Regional Offices is shown in Annexure-1.

5. This order supersedes all previous orders on the subject.

6. This order will come in to force with immediate effect.

V. RAJAGOPALAN
Secy.

Annexure-I

The details of staff sanctioned for Regional Office Headquarters in the Ministry and ten Regional Offices located at Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai. Chandigarh, Dehradun, Lucknow, Nagpur, Ranchi and Shillong

Sl. No.	Name of the Post	Pay Band	Pay Scale + GP	Total Sanction Strength of Regional Office Headquarter and each Regional Office											
				ROHQ	Bangalore	Bhubaneswar	Bhopal	Lucknow	Shillong	Chandigarh	Chennai	Dehradun	Nagpur	Ranchi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Additional Director General of Forests (FC)	HAG+	Rs. 75500-80000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Central)	HAG	Rs. 67000-79000	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3	Conservator of Forests (Central)/ Deputy Conservator of Forests (Central)	4 3	Rs. 37400-67000+GP 8900/ Rs. 37400-67000+GP 7600/-	-	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
4	Assistant Inspector General of Forests	3	Rs.15600-39000+GP 7600/-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5	Scientist 'F'	4	Rs. 37400-67000+GP 8900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
6	Scientist 'D'/'C'	3	Rs. 15600-39000 + GP Rs. 7600/- Rs. 15600-39000 + GP Rs. 6600/-	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	33
7	Deputy Legal Adviser	3	Rs. 15600-39000+GP 7600/-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Assistant Legal Adviser	3	Rs. 15600-39000+GP 6600/-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Legal Assistant	2	Rs. 9300-34800+GP 4600/-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Principal Private Secretary to APCCF	3	Rs. 15600-39000+GP 6600/-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11	Private Secretary (Sr. P.A)	2	Rs. 9300-34800+GP 4600/-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
12	Section Officer	2	Rs. 9300-34800+GP 4600/-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
13	Research Officer Grade-II (Env.)	2	Rs. 9300-34800+GP 4600/-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
14	Technical Officer Grade-I (Forestry)	2	Rs. 9300-34800+GP 4800/-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
15	Technical Officer Grade-II (Forestry)	2	Rs.9300-34800+GP 4600/-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	10
16	Assistant	2	Rs. 9300-34800+GP 4200/-	-	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	19
17	Research Assistant (Env.)	2	Rs. 9300-34800+GP 4200/-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
18	Research Investigator (Forestry)	2	Rs. 9300-34800+GP 4200/-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
(19	Personal Assistant/ Stenographer Grade 'C'	2	Rs. 9300-34800+GP 4200/-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	5
20	Stenographer Grade 'D'	1	Rs. 5200-20200+GP 2400/-	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
21	Junior Hindi Translator	2	Rs. 9300-34800+GP 4600/-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
22	Date Enstry Operator	1	Rs.5200-20200+GP 2400/-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Upper Division Clerk	1	Rs. 5200-20200+GP 2400/-	-	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	15
24	Lower Division Clerk	1	Rs. 5200-20200+GP 1900/-	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	28
25	Staff Car Driver	1	Rs. 5200-20200+GP 1900/-	-	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	20
26	Multi-Tasking Staff	1	Rs. 5200-20200+GP 1800/-	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	37
	Total			22	34	34	33	34	36	28	30	30	30	30	341

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 13th January 2014

RESOLUTION

No. 11015(2)/2013-Hindi. In continuation of the Ministry of New and Renewable Energy Resolution No.11015(2)/2008-Hindi, dated 26th Oct, 2010, the Govt. of India have decided to extend the tenure of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of New and Renewable Energy for a period of one year i.e. upto 25th Oct, 2014.

2 Other terms and conditions mentioned in the aforesaid Resolution, dated 26-10-2010 will remain the same.

Order

Ordered that this Resolution be published in Gazette of India for general information and a copy of this edition be endorsed to Deputy Director (OL), Ministry of New & Renewable Energy, Block No. 14, CGO Complex, New Delhi - 110 003.

J.C. SHARMA
Economic Adviser

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC.1]—120 Copies.